न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 71/2018

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
1. पवन पुत्र प्रभुलाल निवासी पुरानी पानी की टंकी के पास, धोरीमन्ना जिला बाड़मेर (मैसर्स रिषभ जनरल स्टोर धोरीमन्ना जिला बाड़मेर का मैनेजर)
2. प्रभुलाल पुत्र वगतावरमल निवासी पुरानी पानी की टंकी के पास, धोरीमन्ना जिला बाड़मेर (मैसर्स रिषभ जनरल स्टोर धोरीमन्ना जिला बाड़मेर का सोल प्रोपराईटर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–
1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री कपिल चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 16.03.2020

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 10.08.2017 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान मैसर्स रिषभ जनरल स्टोर धोरीमन्ना जिला बाड़मेर का निरीक्षण करने पर विक्रय हेतु अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जे में रखा गया खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड सोनाई** जो 54 टीन रखे हुए पाए गए, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 800 ग्राम **घी ब्राण्ड सोनाई** वास्ते नमूना क्रय की जाकर नमूना संख्या **पी–817** अंकित कर इसकी जांच खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड सोनाई** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.08.2017 में उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड सोनाई** का नमूना **असुरक्षित खाद्य (Unsafe food)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नमूना की जांच रेफरेल प्रयोगशाला से करवाये जाने का निवेदन किया गया। इस पर नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर भिजवाया गया। निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.11.2017 भिजवाते हुए अप्रार्थी की फर्म से लिया गया नमूना जांच में **अवमानक (Sub-standard)** होना मानकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अधीन घी के लिए निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होना बताया गया । इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी की फर्म से लिये गये खाद्य उत्पाद घी ब्राण्ड सोनाई की खाद्य सुरक्षा जांच प्रयोगशाला में विश्लेषण रिपोर्ट में सिर्फ Butyrorefractometer or Reichert में माईनर त्रुटि बताई गई हैं जबकि अन्य सभी मानकों पर गुणवतापूर्ण पाया गया हैं। हस्तगत प्रकरण में खाद्य विश्लेषक जोधपुर की रिपोर्ट में असुरक्षित खाद्य बताया गया हैं जबकि रेफरल प्रयोगशाला की द्वितीय जांच में इसे अवमानक माना गया हैं। इस प्रकार इस माईनर त्रुटि एवं Butyrorefractometer or Reichert Value की अधिकता के कारण अज्ञानतावश आपराधिक केस में प्रथम जुर्म मानकर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर कम से कम जुर्माना किया जावें।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 29.08.2017 की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उनके द्वारा उस पर असहमति प्रकट की गई हैं। इस पर उक्त नमूना की निर्दिष्ट प्रयोगशाला मैसूर से जांच करवाई गई, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 22.11.2017 में अवमानक होना एवं खाद्य पदार्थ घी के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होना प्रकट किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने जवाब में प्रकट किया हैं कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में माईनर त्रुटि पाई गई है तथा यह भी प्रकट किया हैं कि हस्तगत प्रकरण में जो माईनर त्रुटि पाई गई है जिसे अज्ञानतावश प्रथम अपराध मानते हुए कम से कम जुर्माना करने का निवेदन किया हैं अर्थात् अप्रार्थीगण ने जुर्म स्वीकारोक्ति प्रकट की हैं। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी सं. 3 के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर रूपये 20000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 16.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर